न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2023-278RAAJodhpur2023-147RTA223 Nasardin ors Vs Yar Mohmad etc

01. नसरदीन पुत्र निजामदीन,
02. रमजान खॉ पुत्र निजामदीन
03. गफूर खॉ पुत्र निजामदीन
04. अब्दुल रहमान पुत्र निजामदीन
05. शकी मोहम्मद पुत्र कमरदीन

जातियान मुसलमान निवासीगण - बाप तहसील बाप जिला फलोदी।

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

1. यार मोहम्मद पुत्र अब्दुल खॉ जाति मुसलमान, निवासी-बाप तहसील बाप, जिला फलोदी।

रेस्पोडेंट....

2. सदीक पुत्र निजामदीन
3. मोहम्मद सदीक पुत्र हसणे खॉ जाति मुसलमान, निवासी-बाप तहसील बाप, जिला फलोदी।
4. ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत बाप तहसील बाप जिला फलोदी।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बाप

परफोर्मा रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14 फरवरी 2023 सहायक कलक्टर बाप राजस्व मूल वाद संख्या 210/2020 यार मोहम्मद बनाम नसरदीन इत्यादि

उपस्थित-

श्री पूनाराम विश्नोई, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स

श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या पांच

नि र्ण य

दिनांक : 18 मई 2026

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपीलाण्ट्स ने अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बाप द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 210/2020 अनवान यार मोहम्मद बनाम नसरदीन इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14 फरवरी 2023 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 08 अगस्त 2023 को प्रस्तुत की है।

अपीलांट्स द्वारा अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या एक ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि राजस्व ग्राम बाप तहसील बाप के खसरा नंबर 2488 रकबा 11 बीघा 8 बिस्वा के संबंध में धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 31 अगस्त 2021 को निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री जारी कर बाई मिट्स एवं बाउण्ड्स विभाजन प्रस्ताव तलब किये जाने का आदेश दिया गया। तहसीलदार से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर विचारण न्यायालय द्वारा द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14 फरवरी 2023 के जरियें वाद स्वीकार कर लिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलांट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स पर सम्मनों की सम्यक तामील करवाये बिना रजिस्टर्ड ए.डी. डाक की पोस्टल रसीदात के आधार पर उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाकर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री एकपक्षीय एवं प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धांतों के विपरीत पारित किये गये है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद की सुनवाई का कोई नोटिस अपीलार्थीगण को नही दिया गया एवं न

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपीलार्थीगण को कोई नोटिस कभी मिला। विचारण न्यायालय द्वारा वाद विचारण की प्रक्रिया के तहत वाद मे न तो अपीलार्थीगण को जवाब प्रस्तुति एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया तथा न ही वाद में तनकीयात कायम कर पक्षकारान् की साक्ष्य ली गई है। विचारण न्यायालय द्वारा बिना दस्तावेज प्रदर्श करवाये निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री जारी किये गये है। तहसीलदार बाप द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयारी से पूर्व अपीलांट्स को न तो नोटिस जारी किये गये तथा न ही उनकी उपस्थिति सुनिश्चित की गई। विभाजन प्रस्ताव पटवारी हल्का द्वारा तैयार किया गया है तथा पक्षकारान् के मौके पर कब्जे काश्त के विपरीत तैयार किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा नियम विरुद्ध तैयार विभाजन प्रस्ताव के आधार पर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किये गये है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री विधि विरुद्ध होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम पर अपीलांट्स के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि विचारण न्यायालय में अपीलार्थीगण को बिना कोई विधिवत नोटिस दिये उनके विरुद्ध रजिस्टर्ड ए/डी रसीदे पेश होना बताकर गलत रूप से एक तरफा कार्यवाही कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित दिया, जबकि वास्तव में अपीलार्थीगण को उक्त वाद का कभी कोई नोटिस प्राप्त ही नही हुआ। दिनांक 31-07-2023 को प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा मौके पर आकर अपीलार्थीगण को धमकी दी कि इस जगह आप तारबन्दी मत करो, क्योकि ये हिस्सा मैने न्यायालय से बंटवाडा की डिक्री से प्राप्त कर लिया है। तब अपीलार्थीगण द्वारा दिनांक 01-08-2023 को विचारण न्यायालय में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की नकल हेतु आवेदन पेश किया जो नकल दिनांक 04-08-2023 को प्राप्त हुई, जिसको पढाने पर ही अपीलार्थीगण को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की प्रथम जानकारी हुई। प्रथम जानकारी से यह अपील अन्दर म्याद पेश की गई है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन है कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे एवं अपील अपीलांट्स अंदर म्याद शुमार की जाकर गुणावगुण पर स्वीकार की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बाप द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 210/2020 अनवान यार मोहम्मद बनाम नसरदीन इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14 फरवरी 2023 को अपास्त किया जावे तथा अपीलांट्स को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाकर मामला विधिनुसार पुनः निस्तारित किये जाने हेतु विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। जहां तक अपीलांट्स द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब का प्रश्न है, विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट्स पर सम्मनों की सम्यक तामील करवाये बिना प्रस्तुत डाक रसीदात के आधार पर उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाते हुए अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री एकपक्षीय पारित किये जाने से उन्हें अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की समय पर जानकारी नहीं होना लाजमी है। लिहाजा न्याय हित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार किया जाता है एंव अपील अपीलांट्स अंदर म्याद शुमार की जाती है।

गुणावगुण पर विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध विभाजन प्रस्ताव दिनांक 27.09.2022 के अवलोकन मुताबिक तहसीलदार बाप द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (राजस्व मण्डल) नियम 18 से 21 की पालना में अपीलांट्स को सम्यक रूप से सूचित कर उनकी उपस्थिति सुनिश्चित किये बिना विभाजन प्रस्ताव नियम विरुद्ध अपीलांट्स के कब्जे काश्त के विपरीत तैयार किया जाना पाया जाता है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट्स को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना नियम विरुद्ध प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री विधिक प्रावधानों एवं प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धांतों के विपरीत पारित किये जाने पाये जाते है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं अंतिम डिक्री विधि विरुद्ध पाये जाने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरते है।

वस्तुतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, बाप द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 210/2020 अनवान यार मोहम्मद बनाम नसरदीन इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14 फरवरी 2023 खारिज किये जाकर मामला विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देश दिये जाते है कि वह उभय पक्ष की उपस्थित में नियम 18 से 21 की पालना सुनिश्चित करते हुए तहसीलदार बाप से विभाजन प्रस्ताव तलब कर उस पर उभय पक्ष को आपत्तियॉ प्रस्तुत करने तथा सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए विधिनुसार वाद का निस्तारण करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर